भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 277

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: भंडारण सुविधाएं

277. सुश्री एस. जोतिमणिः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि करूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जिलों में फूलों, सहजनों और अन्य सब्जियों जैसे उपजों के भंडारण की मौजूदा सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का करूर, डिंडीगुल, पुदुकोट्टई और तिरुचिरापल्ली जिलों में शीतागार बनाने का प्रस्ताव है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (एनएबीसीओएनएस) द्वारा वर्ष 2015 में "ऑल इंडिया कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपासिटी (एआईसीआईसी-2015)" पर एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन में उस समय तमिलनाडु में कोल्ड स्टोरेज की वर्तमान क्षमता 2.95 लाख मीट्रिक टन आंकी गई थी, जबकि वर्ष 2014 में अपेक्षित क्षमता 1.94 लाख मीट्रिक टन थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्तमान में तमिलनाडु में 3.99 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले 188 कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध हैं। तमिलनाडु सरकार के बागवानी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के करूर जिले में उपज के भंडारण के लिए कोई कोल्ड स्टोरेज सुविधा नहीं है। तमिलनाडु राज्य ने यह भी सूचित किया है कि डिंडीगुल (3750 मीट्रिक टन) और पुदुकोट्टई जिलों (8000 मीट्रिक टन) में पहले से ही कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं मौजूद हैं। यदि किसानों द्वारा कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का अनुरोध किया जाता है, तो अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं स्थापित की जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, सरकार अपने स्वयं के कोल्ड स्टोरेज स्थापित नहीं करती है। तथापि, सरकार विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है, जिसके तहत तमिलनाडु के करूर, डिंडीगुल, पुदुकोट्टई और तिरुचिरापल्ली जिलों सहित पूरे देश में शीघ्र खराब होने वाली बागवानी उपज के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए पूंजी सहायता उपलब्ध है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर देश में 5000 मीट्रिक टन तक की क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए पूंजी सहायता प्रदान की जाती है। एएपी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज का घटक मांग/उद्यमी द्वारा संचालित है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

इस योजना के तहत व्यक्तियों, किसानों/उत्पादकों/उपभोक्ताओं के समूहों, भागीदारी/स्वामित्व वाली फर्मों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों, सहकारी विपणन संघों, स्थानीय निकायों, कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) और विपणन बोर्डों तथा राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) "कोल्ड स्टोरेज और बागवानी उत्पादों के भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी" नामक एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, 5000 मीट्रिक टन से अधिक और 10000 मीट्रिक टन तक की क्षमता के कोल्ड स्टोरेज और नियंत्रित वातावरण (सीए) भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना की पूंजी लागत का 35% और पूर्वोत्तर, पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों के मामले में 50% की दर से क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंडेड सब्सिडी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में, 1000 मीट्रिक टन से अधिक क्षमता वाली इकाइयां भी सहायता के लिए पात्र हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के घटकों में से एक के रूप में एकीकृत कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण अवसंरचना के लिए एक योजना कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य बागवानी और गैर-बागवानी उत्पादों की फसलोपरांत हानि को कम करना और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करना है। इस योजना के तहत, मंत्रालय सामान्य क्षेत्रों के लिए 35% की दर से और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों, एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम (आईटीडीपी) क्षेत्रों और द्वीपों के लिए 50% की दर से भंडारण और परिवहन अवसंरचना के लिए और मूल्य वर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना के लिए क्रमशः 50% और 75% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो विकिरण सुविधा सहित एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति परियोजना 10.00 करोड़ रुपये की अधिकतम अनुदान सहायता के अधीन है। इस योजना के तहत स्टैंडअलोन कोल्ड स्टोरेज को कवर नहीं किया गया है।

उपर्युक्त सभी योजनाएं वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से मांग/उद्यमी द्वारा संचालित हैं, जिसके लिए सरकारी सहायता क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी/अनुदान सहायता के रूप में है और राज्यों/उद्यमी से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, देश में कृषि अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार ने 1.00 लाख करोड़ रुपये के एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की शुरुआत की है। एआईएफ के तहत, 2.00 करोड़ रुपये तक के जमानत मुक्त सावधि ऋण और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना सहित फसलोपरांत अवसंरचना के निर्माण के लिए लिए गए सावधि ऋण पर 3% की ब्याज छूट का प्रावधान है।

*****